

पुणेक,

श्री अजीक यांगुलो,
संपु वत सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र २ तम मंजिल, केन्द्र,
श्री शिक्षा विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा १७१ अनुभाग

तकनः दिनांक: ३० जुलाई, १९९९

विषय:- नीतये पब्लिक स्कूल हरकना मुरादाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली ते सम्बन्धता हेतु अनुपारित प्रमाणे पत्र दिवा जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र कले का निदेश हुआ हे कि नीतये पब्लिक स्कूल हरकना मुरादाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली ते सम्बन्धता हेतु अनुपारित प्रमाण पत्र दिवे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं हे :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तौरावली का तमय तमय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारित विद्यालयों में विभिन्न ब्याजों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से उपयुक्त केसिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त हे तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/श्री शिक्षा विहार नई दिल्ली ते प्राप्त होती हे तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त ही जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्व वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिवे जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों को सेवा नहीं करावी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त प्राप्त अज्ञातकीय उपयुक्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्व सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध करावे जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैरवा उनका पालन करेगा ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रूपन/पुंजिकाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि तैरवा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि :-

111 विद्यालय द्वारा किसी भूमि/भवन की व्यवस्था की जाय तब वर्तमान में किराया नामा संवीकृत कराया जाय ।

121 विद्यालय में कार्वरत अध्यापक/अध्यापिकाओं तथा कर्मचारियों का वेतन बैंक के माध्यम से वितरित कराया जाय ।

131 विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय की व्यवस्था की जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरवा के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैरवा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर या क्लिप्तता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुस्तक जनसंपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा

भवदीय,

अज्ञेय गौरी ।
संयुक्त सचिव ।

पुंजिका 3134111/15-7-1999 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवचार्य एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुंबई/पुणे ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मुंबई/पुणे ।
- 4- निरीक्षक, जंमल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, नोबो पब्लिक स्कूल हरमना मुंबई/पुणे ।

अतः से,

अज्ञेय गौरी
अज्ञेय गौरी ।
संयुक्त सचिव ।